



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 02 जून, 2026 ई0

ज्येष्ठ 12, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 177/XXXVI(3)/2026/44(01)/2025

देहरादून, 02 जून, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025” पर दिनांक 26 मई, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 12 वर्ष, 2026 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2026)

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम की अनुसूची-2 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की अनुसूची-2 में क्रम संख्या-8 के पश्चात् क्रम संख्या सहित निम्नवत् प्रविष्टि अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :-

क्र.	विश्वविद्यालय का	अधिनियम का	प्रायोजक
स.	नाम एवं मुख्य परिसर	नाम	निकाय

9.	बैक्सल गढ़वाल विश्वविद्यालय ग्राम कोल (कुसरैला), तहसील नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025	भगवंत एजुकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली।
----	--	--	-------------------------------------

कठिनाईयों के निवारण करने की शक्तियां 3. (1) यदि बैक्सल गढ़वाल विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल की स्थापना के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 03 (तीन) वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,
सहदेव सिंह
प्रमुख सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम कोल (कुसरैला) में "बैक्सल गढ़वाल विश्वविद्यालय" के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। उक्त विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

No. 177/XXXVI(3)/2026/44(1)/2025

Dated Dehradun, June 02, 2026NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025' (Act No. 12 of 2026).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 26 May, 2026.

The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025
(Uttarakhand Act No. 12 Year, 2026)

An

Act

further to amend in the Uttarakhand Private Universities Act, 2023,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Schedule- 2 in the Act 2. In Schedule-2 of the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 after serial number 8, entry including serial number shall be inserted, as follows namely :-

S.No	Name and Main Campus of the University	Name of Acts	Sponsoring Body
------	--	--------------	-----------------

9. Baxil Garhwal University The Uttarakhand Private Bhagwant Education
Village Kol (Kusrela), Universities Foundation,
Tehsil Narendra Nagar, (Amendment) Act, 2025 New Delhi.
District Tehri Garhwal.

**Power to remove
difficulties**

3. (1) If any difficulty arises regarding the establishment of Baxil Garhwal University, Tehri Garhwal, then the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after expiry of 03 (three) years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislative Assembly as soon as after it is made.

By Order,

SAHDEV SINGH

Principal Secretary.

Statement of Objective and reasons

To encourage the development of the State as an education hub and to promote private sector participation in the field of higher education, it has been decided by the State Government that private University with the name "Baxil Garhwal University", Village Kol (Kusrela), Tehsil Narendranagar, Tehri Garhwal, shall be established. The aim of the said University is to provide innovation of education, new method of teaching and learning and for the overall development of personality, to provide education to the socially and economically deprived class, to promote state related research programmes and to provide employment resources.

2- The proposed bill fulfills the above objectives.